

वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2020-फाल्गुन 30, शके 1941

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती श्वेता जाधव उप-संचालक महिला एवं बाल विकास के पद पर कार्यरत हूँ. अब मैंने अपना सरनेम श्वेता जगन्नाथ तड़वे कर लिया है. अब मैं, वर्तमान एवं भविष्य में श्वेता जगन्नाथ तड़वे के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(श्वेता जाधव)

(1222-बी.)

नया नाम :

(श्वेता जगन्नाथ तड़वे)

पता-ग्राम निवाली, तहसील निवाली,
जिला बड़वानी (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

My Client Shri Amit Ranjan Deb, aged about 56 years, S/o Shri Satya Ranjan Deb, R/o Flat No. 202, Prestige Poonam Arcade Golbazar, Jabalpur do hereby declare that his name is "AMIT RANJAN DEB" which has wrongly been mentioned as "OMIT RANJAN DEV in his office records and document concerned. The spelling of his name as entered in his record and documents concerned, official and otherwise, is incorrect and deserves to be corrected, so that no complications may arise in future. From today i.e. 14-11-2019 onwards the correct spelling of my client should be written in all the concerned documents, official and otherwise and he should be known and recognized as "AMIT RANJAN DEB" alone.

SURESH KUMAR NAYAK

(Advocate)

(1224-B.)

नाम परिवर्तन

मेरा पूर्व में नाम आबिद शेर पिता महबूब शेर खान था. अब मेरा नाम उपनाम सहित आबिद शेर खान पिता श्री महबूब शेर खान हो गया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(आबिद शेर)

पिता-महबूब शेर खान.

(1223-बी.)

नया नाम :

(आबिद शेर खान)

पिता-महबूब शेर खान,
पता-69, नारियल खेड़ा चौराहा, भोपाल (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

I, declare that Before My Name was ASIFA RIZVI. I have changed My Name as ASIFA RIZVI to ASHITA PUNTAMBEKAR. In future I will be known as New Name ASHITA PUNTAMBEKAR.

Old Name :

(ASIFA RIZVI)

(1226-B.)

New Name :

(ASHITA PUNTAMBEKAR)

Address—C-36/22 A, Rishi Nagar,

EXTN, Ujjain (M.P.) 456010.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि अब मेरा नाम हसनजी बुरहानीवाला है, आधारकार्ड, पैनकार्ड सहित मेरे ज्यादातर सभी दस्तावेजों में भी लिखा हुआ है, किन्तु मेरे शेर सर्टिफिकेट में मेरा उपनाम हसनजी राजा लिखा हुआ है, जो कि मेरा पुराना या घर का बोलता हुआ उपनाम था. अतः शेर सर्टिफिकेट सहित मेरे जिस भी दस्तावेज में हसनजी राजा लिखा हुआ है उसे हसनजी बुरहानीवाला ही लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(हसनजी राजा)

(1228-बी.)

नया नाम :

(हसनजी बुरहानीवाला)

123, सैफी नगर, गार्डन के सामने,

इन्दौर (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि शादी पूर्व मेरा नाम दीपा ठाकुरिया उर्फ दीपा जैन था. (यह दोनों उपनाम मुझ एक ही व्यक्ति के हैं) जिसे शादी बाद बदलकर दीपा धन्दिया कर लिया है, किन्तु मेरे कुछ शेर सर्टिफिकेट में अभी भी मेरे शादी पूर्व के (दीपा ठाकुरिया उर्फ दीपा जैन) नाम ही लिखे हुये हैं. अतः शेर सर्टिफिकेट सहित मेरे शादी पूर्व के समस्त शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मुझे मेरे नये और दोनों उपनाम की जगह केवल एक ही उपनाम दीपा धन्दिया से लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(दीपा ठाकुरिया उर्फ दीपा जैन)

(DEEPA THAKURIYA/DEEPA JAIN)

(1229-बी.)

नया नाम :

(दीपा धन्दिया)

(DEEPA DHANDIA)

नाम परिवर्तन

मैं, महेन्द्र चौधरी पुत्र श्री बृजनन्दन चौधरी सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पुत्र का बचपन का नाम हिमांशु चौधरी था जो उसके एल. आई. सी. पॉलिसी क्र. 200140824 में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मेरे पुत्र का नाम मानस चौधरी पुत्र श्री महेन्द्र चौधरी के नाम से जाना, पहचाना एवं पुकारा जाता है तथा उसके शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों में एवं आधारकार्ड इत्यादि में मानस चौधरी लिखा गया है. मानस चौधरी एवं हिमांशु चौधरी एक ही व्यक्ति का नाम है. अतः मेरे पुत्र की एल.आई.सी. पॉलिसी क्र. 200140824 में उसका नाम हिमांशु चौधरी के स्थान पर मानस चौधरी लिखा एवं पढ़ा जावे. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

महेन्द्र चौधरी,

पता-26-ए/4/4, शताब्दीपुरम,

डी. डी. नगर, ग्वालियर (म.प्र.).

(1230-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र उत्कर्ष सिंह तोमर पुत्र कुलदीप सिंह तोमर, माता का नाम तनु तोमर का जन्म प्रमाण-पत्र में घरेलू नाम अमरेन्द्र तोमर, जन्म दिनांक 21-12-2017 दर्ज है. अब मैंने अपने पुत्र का नाम बदलकर उत्कर्ष सिंह तोमर रख लिया है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को अमरेन्द्र तोमर के स्थान पर उत्कर्ष सिंह तोमर पुत्र कुलदीप सिंह तोमर के नाम से जाना, पहचाना व पढ़ा, लिखा व समझा जावे.

कुलदीप सिंह तोमर,

पुत्र-श्री भोले शंकर तोमर,

पता-महाराणा प्रताप नगर,

गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).

(1233-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सुनीता जैन पत्नी स्व. श्री विजय कुमार जैन, निवासी विष्णु कॉलोनी, सिकन्दर कम्पू, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) यह कि मेरे पति स्व. श्री विजय कुमार जैन द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम की पॉलिसी क्र.200747965, दिनांक 28-03-2009, निवास बालाबाई का बाजार, हुजरात पुल, लश्कर ग्वालियर में रहते हुए कराई थी, जिसमें नॉमिनी के रूप में मेरा नाम श्रीमती हरी जैन दर्ज करा दिया था, जबकि मेरा वास्तविक नाम श्रीमती सुनीता जैन पत्नी स्व. श्री विजय कुमार जैन है. इस प्रकार दोनों ही नाम मुझ शपथकर्ता के ही हैं. जबकि मेरे आधारकार्ड, वोटकार्ड में मेरा नाम सुनीता जैन दर्ज है. अतः भविष्य में अब मुझे मेरे दस्तावेजों में अंकित नाम सुनीता जैन के नाम से ही जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(हरी जैन)

पत्नी-स्व. श्री विजय कुमार जैन.

(1234-बी.)

नया नाम :

(सुनीता जैन)

पत्नी-स्व. श्री विजय कुमार जैन.

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री सम्पदा कुशवाह के शैक्षणिक दस्तावेज में मेरा नाम समीर सिंह कुशवाह, माता का नाम रागिनी कुशवाह दर्ज है. मेरे सभी दस्तावेजों में समीर सिंह राजावत अंकित है तथा मेरी पत्नी के दस्तावेजों में भी रागिनी राजावत अंकित है. अतः भविष्य में मेरी पुत्री सम्पदा राजावत पुत्री श्री समीर सिंह राजावत तथा माता रागिनी राजावत के नाम से ही जाना व पहचाना जावे तथा सुधार किया जावे.

पुराना नाम :

(समीर सिंह कुशवाह)

रागिनी कुशवाह.

(1235-बी.)

नया नाम :

(समीर सिंह राजावत)

रागिनी सिंह राजावत,
पता-20, सिन्धी कॉलोनी, कम्पू,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

पहले मेरा नाम विद्याधर द्विवेदी था. अब मेरा नाम पंकजधर द्विवेदी है. अब मुझे पंकजधर द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाएगा.

पुराना नाम :

(विद्याधर द्विवेदी)

(1236-बी.)

नया नाम :

(पंकजधर द्विवेदी)

पता-13/एफ, सुन्दर नगर,
अशोका गार्डन, भोपाल (म.प्र.).**CHANGE OF NAME**

I, Sonwani Nikita Ramdas hereby declare that I have changed my name as Kavya Lakhan Haryani W/o Lakhan Haryani so from now and in future I will be known by my new name. Kavya Lakhan Haryani W/o Lakhan Haryani.

Old Name :

(SONWANI NIKITA RAMDAS)

(1227-B.)

New Name :

(KAVYA LAKHAN HARYANI)

Address—Plot No. 60, Samrat Ashok Nagar,
Near Tower Chouraha, Indore M.P. 452001.**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र आदित्य विश्वकर्मा के शैक्षणिक दस्तावेज 10वीं एवं 12वीं के अंकसूची में मेरा नाम दिनेश विश्वकर्मा अंकित है एवं अन्य दस्तावेजों में मनीष विश्वकर्मा है. दोनों नाम मेरे ही हैं. अतः भविष्य में मुझे मनीष विश्वकर्मा के नाम से जाने, पहचाने एवं मेरे पुत्र के दस्तावेज में आदित्य विश्वकर्मा पिता मनीष विश्वकर्मा पढ़ा जावे.

पुराना नाम :

(दिनेश विश्वकर्मा)

(1238-बी.)

नया नाम :

(मनीष विश्वकर्मा)

पता-म. नं. 68/1, आचार्य नरेन्द्र देव नगर,
गली नं. 10, वीटीसी, गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.).

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैंने अपना उपनाम अशोक शर्मा से बदलकर अपना नया उपनाम अशोक ओझा रख लिया है। मुझे सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय कार्यों एवं दस्तावेजों में मेरे नये उपनाम अशोक ओझा के नाम से जाना एवं पहचाना जाये तथा उपयोग किया जावे। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(अशोक शर्मा)

पुत्र-श्री रामप्रकाश ओझा.

(1239-बी.)

नया नाम :

(अशोक ओझा)पुत्र-श्री रामप्रकाश ओझा,
पता-आनंद मार्ग प्राइमरी स्कूल के पीछे,
कोटेश्वर कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी एल.आई.सी. पॉलिसी, आधारकार्ड, वोटरकार्ड, बैंक पासबुक, कक्षा 08वीं की अंकसूची में नाम जीतेन्द्र साहू पुत्र श्री अशोक कुमार साहू दर्ज है। मुझे जीतेन्द्र साहू के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाता है। मैंने अपना नाम परिवर्तन कर जीतू साहू पुत्र श्री अशोक कुमार साहू कर लिया है। भविष्य में जीतू साहू पुत्र श्री अशोक कुमार साहू के नाम से ही जाना, पहचाना व पुकारा जावेगा।

पुराना नाम :

(जीतेन्द्र साहू)

पुत्र-श्री अशोक कुमार साहू.

(1240-बी.)

नया नाम :

(जीतू साहू)पुत्र-श्री अशोक कुमार साहू,
पता-वार्ड 20, गांधी पार्क रोड, डबरा,
जिला ग्वालियर (म.प्र.).**नाम परिवर्तन**

मैं, कथन करता हूँ कि मेरे सभी दस्तावेजों में मेरा नाम अनिल कुमार मालवी अंकित है। भविष्य में मुझे नये नाम अनिल कुमार मालवीया से पहचाना जाये।

पुराना नाम :

(अनिल कुमार मालवी)**(ANIL KUMAR MALVI)**

(1241-बी.)

नया नाम :

(अनिल कुमार मालवीया)**(ANIL KUMAR MALVIYA)****नाम परिवर्तन**

मैं, क्रांति जाटव पत्नी श्री सोवरन सिंह सर्व-साधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम क्रांति सेनवार था। जो मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 203024923 में मेरा पूर्व का नाम क्रांति सेनवार लिखा गया है, जो कि गलत है जबकि मेरे शासकीय/अर्द्धशासकीय प्रपत्र जैसे पैनकार्ड, आधारकार्ड, वोटरकार्ड आदि में मेरा नाम क्रांति जाटव अंकित है एवं भविष्य में भी मैं इसी नाम क्रांति जाटव के नाम से जानी, पहचानी एवं पुकारी जाऊंगी एवं हस्ताक्षर करती रहूंगी भूलवश (गलती) से मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 203024923 में मेरा पूर्व का नाम क्रांति सेनवार लिखा गया है। जो कि गलत है। अतः मेरी बीमा पॉलिसी क्र. 200252920 में मेरा सही नाम क्रांति जाटव पत्नी श्री सोवरन सिंह लिखा एवं पढ़ा जाये। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

पुराना नाम :

(क्रांति सेनवार)

(1225-बी.)

नया नाम :

(क्रांति जाटव)पत्नी-श्री सोवरन सिंह,
पता-कुमार पब्लिक स्कूल के पास,
महावीरपुरा वार्ड नं. 13, डबरा,
ग्वालियर (म.प्र.).**आम सूचना**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स श्री श्याम फूड एण्ड बेवरेज 02, गांधी मार्केट नियर हनुमान चौराहा सदर बाजार मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.) की फर्म की रचना में दिनांक 10-09-2018 को साझेदारी संशोधन निम्नलिखित पक्षकारों के मध्य लिपिबद्ध किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

1. मनीष सिंघल पुत्र श्री तुलसीदास सिंघल, उम्र-42 वर्ष, निवासी-पंचायती धर्मशाला रोड, मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.).

2. सुमिल बंसल पुत्र श्री गिराज बंसल, उम्र-25 वर्ष, निवासी-16/392, नारायणी वाली गली, दत्तपुरा, मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.).
3. दिलीप कुमार बांदिल पुत्र श्री चिम्मनलाल बांदिल, उम्र-39 वर्ष, निवासी-कलेक्टर बंगला के पीछे, गणेशपुरा मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.).
4. कपिल बंसल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद बंसल, उम्र-27 वर्ष, निवासी हनुमान चौराहा, सदर बाजार जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.).
5. अंशुल अग्रवाल पुत्र श्री मुन्नालाल अग्रवाल, उम्र-33 वर्ष, निवासी-46, पातीराम वाली गली, मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.).

दिनांक 09 सितम्बर, 2018 को उक्त फर्म में उपरोक्त साझेदार थे.—

1. मनीष सिंघल पुत्र श्री तुलसीदास सिंघल, उम्र-42 वर्ष, निवासी-पंचायती धर्मशाला रोड, मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.).
2. सुमिल बंसल पुत्र श्री गिराज बंसल, उम्र-25 वर्ष, निवासी-16/392, नारायणी वाली गली, दत्तपुरा, मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.).
3. दिलीप कुमार बांदिल पुत्र श्री चिम्मनलाल बांदिल, उम्र-39 वर्ष, निवासी-कलेक्टर बंगला के पीछे, गणेशपुरा मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.).
4. कपिल बंसल पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद बंसल, उम्र-27 वर्ष, निवासी-हनुमान चौराहा, सदर बाजार जौरा, जिला मुरैना (म.प्र.).

दिनांक 10 सितम्बर, 2018 को वर्तमान में उपरोक्त साझेदार हैं.—

उक्त फर्म के की रचना में परिवर्तन होने से किसी व्यक्ति, संस्था, विभाग आदि को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या उक्त फर्म पर किसी का भी कोई ऋण भार हो अथवा उक्त फर्म में कोई भी अपना किसी भी प्रकार का हक या अधिकार रखता हो या कोई जमानत/गारंटी आदि का भार हो वह इस सूचना प्रकाशन से 7 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के उपस्थित होकर संपर्क करें एवं अपनी आपत्ति दर्ज करावें। इस सूचना की म्याद समाप्त होने पर उक्त वर्णि फर्म की रचना में परिवर्तन करा लिया जावेगा और इस प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर व्यर्थ एवं शून्य मानी जावेगी।

नमन मोदी एण्ड एसोसियेट,

नमन मोदी,

(चार्टर एकाउन्टेन्ट)

नाला नं. 2 रोड, मुरैना (म.प्र.).

(1242-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स श्रीराम एसोसिएट्स, नये राम मंदिर के सामने सर्किट हाउस रोड, बालाघाट पंजीयन क्रमांक 04/21/01/00026/14, 13 मई, 2014 से रजिस्टर ऑफ फर्म जबलपुर में पंजीकृत है। इस फर्म में दिलीप कारडा एवं डिम्पल कारडा भागीदार हैं। विदित रहे कि दिनांक 01-03-2020 से यश कारड एवं नमन कारडा अपनी स्वेच्छा से सहभागीदार बन रहे हैं।

मेसर्स श्री राम एसोसिएट्स,

दिलीप कारडा,

नये राम मंदिर के सामने,

(1231-बी.)

सर्किट हाउस रोड, बालाघाट (म.प्र.) 481001.

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि भागीदारी फर्म मैसर्स नीरव एण्ड नीरव इण्डस्ट्रीज जिनका पता-फ्लेट नं. 6/8, अंकुर कॉम्प्लेक्स, शिवाजी नगर 6 नं. बस स्टॉप, भोपाल (462016) मध्यप्रदेश में स्थित है, जिसका फर्म पंजीयन क्र. 01/01/01/00020/08, सन् 2008-09, दिनांक 05 मई, 2008 में रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं भोपाल संभाग, मध्यप्रदेश में पंजीकृत है जिसमें श्री कर्मवीर सिंह, श्रीमती ज्योति सोगारा, श्री नीरव सोंगारा और श्रीमती मोनिका सिंह भागीदार थे, जिसमें से दिनांक 25-01-2020 को भागीदार श्री नीरव सोंगारा और श्रीमती मोनिका सिंह अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गए हैं। वर्तमान में फर्म में दो भागीदार श्री कर्मवीर सिंह और श्रीमती ज्योति सोंगारा शेष हैं, जो कि भागीदार के रूप में कार्य का संचालन करते रहेंगे, आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो।

मेसर्स नीरव एण्ड नीरव इण्डस्ट्रीज,

कर्मवीर सिंह,

(भागीदार)

फ्लेट नं. 6/8, अंकुर कॉम्प्लेक्स,

शिवाजी नगर, भोपाल (म.प्र.).

(1232-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स शंकरेश्वर डेव्हलपर्स जिसका पंजीयन क्र. 228/17, दिनांक 04-12-2017 है जो 203 श्री क्लासिक ए. आर. 79, बीमा नगर, इन्दौर में स्थित है जिसमें दिनांक 22-07-2015 को भागीदार श्री संजय जैन पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र जैन अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 22-07-2015 से अभिषेक श्रीवास्तव पुत्र श्री दिलीप श्रीवास्तव फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं एवं दिनांक 16-11-2015 को भागीदार अमन सहगल पुत्र श्री कमल जीत सिंह सहगल अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं तथा दिनांक 28-06-2017 को भागीदार श्री अंकित श्रीवास्तव पुत्र श्री शरद श्रीवास्तव फर्म से अपनी स्वेच्छा से पृथक् हो गये हैं एवं श्री नीलेश उपाध्याय पुत्र श्री रविन्द्र उपाध्याय फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं तथा दिनांक 11-02-2020 को भागीदार नीलेश उपाध्याय पुत्र श्री रविन्द्र उपाध्याय अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं। साथ ही अब फर्म को संचालित करने का दायित्व भागीदार श्री अभिषेक श्रीवास्तव एवं महेश चौहान द्वारा संचालित किया जायेगा। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो 07 दिन में फर्म कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

मैसर्स शंकरेश्वर डेव्हलपर्स,
अभिषेक श्रीवास्तव,
(भागीदार)
इन्दौर (म.प्र.)

(1237-बी.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, सोहागपुर, जिला शहडोल

सोहागपुर, दिनांक 07 फरवरी, 2020

प्रारूप क्रमांक-4

[देखें नियम 5(1)]

यतः कि श्री शीलचन्द्र गोयल जैन एवं अन्य निवासी बुढार, वार्ड नम्बर 11, शहडोल, मध्यप्रदेश प्रबंधक न्यासी, श्री दिगम्बर जैन महासभा न्यास बुढार ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन एवं संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है। एतद् द्वारा राजपत्र में प्रकाशन हेतु सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 20 मार्च, 2020 को समय 10.30 बजे को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

अतः तत्संबंध में किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख को व्यक्तिशः अथवा अभिकर्ता, अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हों। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

1. लोक न्यास का नाम व पता : श्री दिगम्बर जैन महासभा न्यास, बुढार, जिला शहडोल मध्यप्रदेश.
2. अचल सम्पत्ति का विवरण : ग्राम बुढार, तहसील बुढार, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश स्थित भूमि खसरा नम्बर 287/3/ख रकवा 0.148 हे. (सूची संलग्न है)
3. चल सम्पत्ति का विवरण : 21000/- रुपये नगद समिति के पास.

आज दिनांक 20 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर व पदमुद्रा से जारी किया गया.

(320)

मिलिन्द नागदेवे,
अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास, पानसेमल जिला बड़वानी

राजस्व प्र.क्र.0001/बी-113(1)/2019-20.

प्रारूप-चार

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

लोक न्यास के पंजीयन एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पानसेमल जिला बड़वानी के समक्ष:-

चूँकि माँ बडी बिजासन धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट तर्फे बजारिया सोलंकी, निवासी- राई, तहसील निवाली, जिला बड़वानी के द्वारा

मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम-1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन नीचे वर्णित अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है। एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 20 जनवरी, 2020 को विचार के लिए लिया जावेगा।

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने का विचार रखता हो उसे इस सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है।

अतः मैं, सुमेरसिंग मुजाल्दा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) पानसेमल, जिला बड़वानी का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की धारा-1 के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ।

अतः एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले और किसी की आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभावक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि की समाप्ति पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्राह्य नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम तथा लोक न्यास की सम्पत्ति का वर्णन)

न्यास का नाम	:	माँ बडी बिजासन धार्मिक एवं पारमार्थिक ट्रस्ट, पानसेमल,
कार्यालय	:	माँ बडी बिजासन, ए.बी. रोड, राजमार्ग एन. एच.3.
अचल संपत्ति	:	मंदिर 4415 वर्गफीट, हनुमान मंदिर 459 वर्गफीट, माँ सातमात्रा 600 वर्गफीट, श्री बटुक भैरव मंदिर 630 वर्गफीट, इसके अलावा मंदिर परिसर से संलग्न कार्यालय 515 वर्ग, पुजारी का कमरा 160 वर्गफीट, तीन भक्त निवास भवन 2100 वर्गफीट, कुल 2 कमरे 01 हाल एवं 1785 वर्गफीट में कुल 6 कमरे एवं 1500 वर्गफीट में 01 हाल, अन्नगृह 1200 वर्गफीट, भक्तों की दर्शन सुविधा हेतु टीन शेड 6000 वर्गफीट, यज्ञशाला 1225 वर्गफीट, गौशाला दो मंजिला 3300 वर्गफीट, मंदिर के समीप एक स्कूल 1736 वर्गफीट, स्कूल के सामने 11280 वर्गफीट का ग्राउंड स्थिति है।
चल संपत्ति	:	राजराजेश्वरी बडी बिजासन नामे वित्तीय वर्ष में सामान्य बजट 78 लाख रुपये अनुमानित है।

आज दिनांक 18 दिसम्बर, 2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

सुमेरसिंग मुजाल्दा,

(323)

अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

न्यायालय, रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड-जावरा, जिला रतलाम

जावरा, दिनांक 27 फरवरी, 2020/04 मार्च, 2020

फार्म-4

[नियम 5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम 1951 की धारा 5(2) के तहत]

क्र./1133/रीडर-1/2020.-- आवेदक श्री दिलीप कुमार पिता मांगीलाल पगारिया, जाति जैन, निवासी-36, बजाजखाना, जावरा द्वारा धारा 4(2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसकी सुनवाई दिनांक 30 मार्च, 2020 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर दोपहर 03.00 बजे की जावेगी।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 30 मार्च, 2020 को इस न्यायालय में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा अपने एजेन्ट के द्वारा नियत समय पर उपस्थित हों। निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम पता तथा संपत्ति का विवरण)

1. न्यास का पूरा नाम	:	श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ रिलिजियस.
2. चल सम्पत्ति	:	निरंक.
3. अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

राहुल धोटे (IAS)

(324)

अनुविभागीय अधिकारी.

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, राजपुर, जिला-बड़वानी

रा.प्र.क्र. 0001/बी-113/2019-20.

फार्म नम्बर-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1951 (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास, 1962 का नियम 5 (1) देखिये]

पंजीयक लोक न्यास, बड़वानी जिले के समक्ष.

चूंकि "यादव (अहीर) समाज ट्रस्ट राजपुर" तहसील राजपुर, जिला बड़वानी ने मध्यप्रदेश लोक न्यास 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गयी सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता है तो उसके बारे में की गई आपत्तियां या सुझाव देने का विचार रखता हो तो इस सूचना के द्वारा सूचित किया जाता है कि "यादव (अहीर) समाज ट्रस्ट राजपुर" सेवा संस्थान ट्रस्ट एक लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक लोक न्यास, जिला बड़वानी का लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में नियत दिनांक को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा तथा अपेक्षित जांच करना प्रस्थापित करता हूँ.

अतः एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या इसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 01 माह (एक माह) के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है. और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिशः या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिये ग्रहण नहीं किया जायेगा.

वीरसिंह चौहान,

अनुविभागीय अधिकारी(रा.).

(325)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास हटा, जिला दमोह

रा.प्र.क्र./03ब/113/वर्ष 2016-17.

हटा, दिनांक 26 फरवरी, 2020

प्रारूप क्रमांक-4

[नियम 5(1) देखिये]

श्री कैलाश चंद पाण्डेय पिता स्व. श्री घनश्याम प्रसाद पाण्डेय

साकिन संजय वार्ड हटा, तहसील हटा, जिला दमोह (म.प्र.).

.....आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश शासन

पंजीयक सार्वजनिक न्यास हटा, जिला दमोह.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1961 का नियम-5/1 के द्वारा]

यहकि आवेदक श्री कैलाशचंद पाण्डेय पिता स्व. श्री घनश्याम प्रसाद पाण्डेय साकिन संजय वार्ड हटा, तहसील हटा, जिला दमोह (म.प्र.) द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन दिनांक 08 मई, 2015 प्रस्तुत कर अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये निवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र दिनांक 24 मार्च, 2020 को 12.00 बजे को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं संपत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति, दावा पेश करना चाहते हैं तो वे उक्त नियत तिथि को इस न्यायालय में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में आपत्ति स्वतः या अपने अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत अवधि के उपरांत प्राप्त दावा/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| 1. लोक न्यास का नाम व पता | : | श्री श्री 1008 श्री राधा बल्लभ मंदिर, पाण्डे गली,
रतन बजरिया संजय वार्ड, हटा, तहसील हटा, जिला दमोह (म.प्र.). |
| प्रबंधक | : | श्री कैलाश चंद पाण्डेय पिता स्व. श्री घनश्याम प्रसाद पाण्डेय
साकिन संजय वार्ड हटा, तहसील हटा, जिला दमोह. |

2. संपत्ति का विवरण : (अ) (1) मौजा हटाखास संजय वार्ड स्थित मेन गेट के बायें तरफ श्री श्री 1008 श्री राधा बल्लभ मंदिर स्थित है, उसी से लगा हुआ एक कमरा पुजारी का है, सामने दहलान में एक कुंआ है, उसी के बाजू से एक छोटी मड़िया है तथा कुंआ के पीछे तरफ दो मंजिला मकान बना हुआ है. वार्षिक आय 50,000/- (पचास हजार रुपये) है.

(ब) मंदिर में संलग्न मकान के किराये से होने वाली आय से पुजारी का वेतन अदा किया जाता है. मंदिर में पूजन सामग्री धार्मिक पुस्तकें, आरती, भोग, भगवान शयन के लिये छोटे पलंग एवं पोशाकें आदि पूजन की सामग्री है. तखत, पलंग, गोदरेज अलमारी, दो कठवा की अलमारी, दो गैस टंकी एवं चूल्हा भण्डार बनाने हेतु किचिन के बर्तन आदि है.

राकेश सिंह मरकाम,

अनुविभागीय अधिकारी.

(326)

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील कोलार, जिला-भोपाल

प्र.क्र. /बी-113/2019-20.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि “श्वेता न्यासी, भोपाल ट्रस्ट” द्वारा श्री आदित्य मल्होत्रा, आ. श्री तिलक राज मल्होत्रा प्रबंधक ट्रस्टी भोपाल, निवासी-ई-1/112, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, ग्राम-अरेरा कॉलोनी भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा 07 अप्रैल, 2020 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के “ एक माह ” के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : “श्वेता न्यासी, भोपाल ट्रस्ट” द्वारा श्री आदित्य मल्होत्रा, आ. श्री तिलक राज मल्होत्रा प्रबंधक ट्रस्टी भोपाल, निवासी-ई-1/112, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
2. चल सम्पत्ति : 1,000/-
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 07 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(327)

प्र.क्र. /बी-113/2019-20.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5(1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि “उत्कर्ष चेरिटेबल न्यासी भोपाल ट्रस्ट” द्वारा श्रीमती डॉ. अल्का तिवारी पत्नी श्री कैलाश नाथ तिवारी, प्रबंधक ट्रस्टी भोपाल, निवासी-डी एक्स/बी-4, चार इमली, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा..... को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के “ एक माह ” के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता : "उत्कर्ष चेरिटेबल न्यासी भोपाल ट्रस्ट"
द्वारा श्रीमती डॉ. अल्का तिवारी पत्नी श्री कैलाश नाथ तिवारी,
निवासी-डी एक्स/बी-4, चार इमली, भोपाल.
2. चल सम्पत्ति : 1,000/-.
3. अचल सम्पत्ति : निरंक.

आज दिनांक 07 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(328)

राजेश श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार.

न्यायालय रजिस्ट्रार ऑफ पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी देवरी, जिला सागर

प्र.क्र.03/बी-113/2019-20.

देवरी, दिनांक 03 मार्च, 2020

प्रारूप क्रमांक-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5(1) व 5(2) के अंतर्गत]

पंजीयक लोक न्यास, देवरी, जिला सागर के समक्ष.

आवेदक संजय कुमार जैन वल्द प्रेमचंद जैन, श्रीमती संगीता पति संजय कुमार जैन, विमलचंद पिता हुकुमचंद जैन, कोमलचंद जैन पिता हुकुमचंद जैन, अनुभव जैन पिता सुरेशचंद जैन सभी निवासी मोकलपुर गौरझामर, तहसील देवरी के द्वारा मध्यप्रदेश के लोक न्यास अधिनियम, 1951 की उप धारा(4) के अभिप्राय के लिये श्री शांतिनाथ कुंदकुंद कहान दिगम्बर जैन मंदिर शांतिनाथ परिसर नया बस स्टैण्ड के पास गौरझामर पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है. उक्त ट्रस्ट की चल-अचल संपत्ति पंजीयन हेतु मेरे न्यायालय में प्रकरण चल रहा है. जिस पर दिनांक 03 अप्रैल, 2020 को मेरे द्वारा विचार किया जावेगा.

उक्त लोक न्यास एवं चल-अचल सम्पत्ति के पंजीयन किये जाने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति या सुझाव हो तो दो प्रतियों में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन होने के 01 माह के अंदर स्वयं अथवा किसी अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. अवधि समाप्त होने के पश्चात प्राप्त किसी आपत्ति या सुझाव पर विचार नहीं किया जावेगा.

1. न्यास का मुख्यालय : शांतिनाथ परिसर नया बस स्टैण्ड गौरझामर.
2. कार्यक्षेत्र : गौरझामर.
3. न्यास का कार्य उद्देश्य : जैन धर्म की प्रभावना, समाजोद्धार लोकोपकार.
4. न्यास के आय के साधन : दान एवं सदस्यों द्वारा सहयोग राशि, सदस्यता शुल्क, दान पेटी की राशि, अचल संपत्ति से प्राप्त किराया, विवाह आदि मांगलिक कार्यों में दान स्वरूप प्राप्त राशि.

कार्यकारी न्यासी और प्रबंधक के नाम एवं पता

- अध्यक्ष : संजय कुमार पिता प्रेमचंद जैन, निवासी गौरझामर.
- उपाध्यक्ष : अनुभव जैन पिता सुरेशचंद जैन, निवासी मोकलपुर.
- सचिव : विमलचंद पिता हुकुमचंद जैन, निवासी गौरझामर.
- कोषाध्यक्ष : श्रीमती संगीता पति संजय कुमार जैन, निवासी गौरझामर.

चल व अचल सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:-

- चल संपत्ति : 10,00,000/- रुपया.
- अचल संपत्ति : मंदिर भवन ग्राम पंचायत भवन के पास गौरझामर में स्थित भूमि खसरा नं. 344/6, रकवा 0.02 (40X63) हे. में स्थित भवन यानि 2520 वर्गफुट श्री शांतिनाथ कुंद-कुंद कहान ट्रस्ट, ट्रस्टी क्रमांक 02 श्रीमती संगीता पति संजय कुमार जैन के नाम से दर्ज है.

पेशी दिनांक 03-04-2020.

(329)

राजेन्द्र पटेल,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

खरगोन, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं धारा-70(1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2020/166, दिनांक 27 जनवरी, 2020 से माँ मैकल मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बड़वाह को निम्नांकित कारणों से परिसमापन में लाने हेतु जारी किया गया था:-

1. संस्था ने गठन उद्देश्यों के अनुरूप नहीं करवाया है.
2. संस्था के द्वारा संस्था के सामान्य सदस्यों के हितों को संवर्धित नहीं करती है. इससे आशय संस्था सभी सदस्यों का हित संवर्धन नहीं कर रही है. अपितु किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य कर रही हो. जैसे किसी व्यक्ति विशेष को निर्वाचित करने के लिए या किसी व्यवसाय को सामान्य रूप से प्रतिबंधित किया गया हो, उस व्यवसाय के लिए समिति का गठन किया जाना.
3. संस्था द्वारा अधिनियम व उप नियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
4. संस्था द्वारा सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-6 की शर्तों का पालन नहीं कर रही हो जैसे-
 - i. पंजीयन की शर्तों के अनुसार प्राथमिक समिति में न्यूनतम 20 सदस्य भिन्न-भिन्न परिवार के हों.
 - ii. प्रथम दृष्टया सदस्यों की सहमति के बिना उनके कुटरचित दस्तावेज प्रस्तुत कर पंजीयन कराया गया हो.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर संस्था अध्यक्ष द्वारा दिनांक 17 फरवरी, 2020 को प्रस्तुत कर संस्था पर आरोपित बिन्दुओं से असहमत होकर संस्था के गठन को विधिवत होना बताया है. अध्यक्ष के प्रत्युत्तर में समिति के सदस्यों की पूर्ण सहमति होकर सदस्यता पत्र व अंशपूजी बैंक में जमा होना, संस्था के किसी भी सदस्य की असहमति न होकर कुटरचित हस्ताक्षर नहीं किये जाने व संस्था के सभी सदस्य भिन्न भिन्न परिवार के होना दर्शाया है. लेकिन संस्था ने प्रत्युत्तर के प्रमाण/साक्ष्य के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे प्रत्युत्तर की प्रामाणिकता होती है. उल्लेखनीय है कि जांच अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के बिन्दुओं के आधार पर कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था, जिसमें संस्था की जांच में उक्त बिन्दुओं को संस्था के गठन के विरुद्ध होकर आरोपों को दस्तावेज के आधार पर प्रमाणित होना पाया गया है, संस्था अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर संतोषप्रद नहीं होकर समाधानकारक नहीं है. संस्था का गठन सदस्य हित में विधिसंगत नहीं होने से व संस्था सदस्यों का हित संवर्धन नहीं होता है. संस्था को परिसमापन में लाये जाने का निर्णय लिया जाता है.

अतः मैं, मुकेश जैन, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये माँ मैकल मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., बड़वाह, तहसील बड़वाह पंजीयन क्रमांक/2294, दिनांक 28 फरवरी, 2019 को इस आदेश द्वारा परिसमापन में लाते हुए श्री मनोहर वास्करले, सहकारिता विस्तार अधिकारी बड़वाह को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70(1) के तहत परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मुकेश जैन,
उप-पंजीयक.

(330)

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली

सिंगरौली, दिनांक 18 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत]

प्रति,

संचालक मण्डल द्वारा अध्यक्ष श्री वाई. बी. तेली प्रशासक/व.स.नि.,
विस्था. श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्या., मटवई (ग्राम तेलगवां),
पंजीयन क्रमांक 150, दिनांक 05 सितम्बर, 2013, पोस्ट शाहपुर,
तहसील सिंगरौली, जिला सिंगरौली (म.प्र.).

क्र./परि./2020/230.—को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है-

1. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य के लिये किया गया था, उसकी पूर्ति करने में विफल है.

2. संस्था साधारणतः सदस्यों के हित के बजाय व्यक्ति/व्यक्तियों के समूह के लिये कार्य कर रही है।
3. संस्था द्वारा अधिनियम, नियम एवं उप नियमों की शर्तों का अनुपालन करना बन्द कर दिया गया है।
4. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है।
5. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49(5) के तहत आमसभा का आयोजन नहीं किया गया है।
6. संस्था द्वारा संचालक मण्डल की बैठकें संस्था की पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार नहीं की जा रही है।
7. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि के प्रावधानानुसार निर्धारित समय-सीमा में अपनी सदस्य संख्या में वृद्धि नहीं की जा रही है।
8. संस्था विगत कई वर्षों/पंजीयन दिनांक से अकार्यशील एवं निष्क्रिय है।
9. संस्था द्वारा सहकारी विधान की धारा-58 के तहत अंकेक्षण कराने हेतु अंकेक्षक को अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया है।
10. संस्था ने अंकेक्षण टीपों में अंकित आक्षेपों का पालन प्रतिवेदन समयावधि में सहायक पंजीयक (ऑडिट) सहकारी समितियाँ सिंगरौली को प्रस्तुत नहीं किया गया है।
11. संस्था द्वारा पंजीयन दिनांक.....से अभी तक अपने नवीन संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं कराया गया है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) ए/क, बी/ख एवं सी/ग के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, जी. पी. प्रजापति, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली (म.प्र.) आपको यह सूचना-पत्र देता हूँ, कि उपरोक्त कारणों से क्यों न आपकी संस्था को परिसमापन में लया जावे. उक्त संबंध में आप दिनांक 27 फरवरी, 2020 को कार्यालयीन समय पर मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित/मौखिक कथन प्रस्तुत करें. नियम तिथि को प्रत्युत्/कथन प्रस्तुत न होने की दशा में यह माना जाकर कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है तथा उपरोक्त आरोप आपको स्वीकार/मान्य है, प्रस्तावित कार्यवाही अमल में लाई जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।

(336)

सिंगरौली, दिनांक 18 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/225.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/920, दिनांक 27 सितम्बर, 2014 के द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, कुम्हिया, तहसील सिंगरौली (बैढ़न), जिला सिंगरौली पंजीयन क्र. 875, दिनांक 07 अगस्त, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है. जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जी. पी. प्रजापति, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, कुम्हिया, तहसील सिंगरौली (बैढ़न), जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 18 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(331)

सिंगरौली, दिनांक 18 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/226.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/908, दिनांक 27 सितम्बर, 2014 के द्वारा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, हर्दी, तहसील सिंगरौली (बैढ़न), जिला सिंगरौली पंजीयन क्र. 930, दिनांक 23 दिसम्बर, 2003 है, को मध्यप्रदेश

सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जी. पी. प्रजापति, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, हर्दी, तहसील बैद्वन, जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(332)

सिंगरौली, दिनांक 18 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/227.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/929, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवरी, तहसील सिंगरौली (बैद्वन), जिला सिंगरौली पंजीयन क्र. 51, दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जी. पी. प्रजापति, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवरी, तहसील बैद्वन, जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(333)

सिंगरौली, दिनांक 18 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/228.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2016/750, दिनांक 29 सितम्बर, 2016 के द्वारा प्रभात महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, हरहवा, तहसील सिंगरौली (बैद्वन), जिला सिंगरौली पंजीयन क्र. 1089, दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जी. पी. प्रजापति, उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश प्रभात महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, हरहवा, तहसील बैद्वन, जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(334)

सिंगरौली, दिनांक 18 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/229.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/906, दिनांक 27 सितम्बर, 2014 के द्वारा आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, बेतरिया, तहसील सिंगरौली (बैदुन), जिला सिंगरौली पंजीयन क्र. 1064, दिनांक 18 सितम्बर, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एस. शर्मा, सहकारी निरीक्षक, सहकारिता जिला सिंगरौली को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है। जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने की अनुशांसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं जी. पी. प्रजापति, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश आदर्श महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, बेतरिया, तहसील बैदुन, जिला सिंगरौली का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 18 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

जी. पी. प्रजापति,

उप-पंजीयक.

(335)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रीवा

रीवा, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/336.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./925, दिनांक 11 फरवरी, 2015 के द्वारा राजहंस बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मऊगंज, पं.क्र.1262/07-11-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजहंस बीड़ी उद्योग सहकारी समिति मर्या., मऊगंज, पं.क्र.1262/07-11-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी।

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(337)

रीवा, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/337.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./387, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रतनगवां, पं.क्र.1051/20-04-2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आर. पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है।

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध सहकारी समिति मर्या., रतनगवां, पं.क्र.1051/20-04-2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(338)

रीवा, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/338.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./449, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कदैला, पं.क्र.958/04-06-2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री ओ. पी. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कदैला, पं.क्र.958/04-06-2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(339)

रीवा, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/339.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./535, दिनांक 18 मार्च, 2016 के द्वारा भागवत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बुढ़वा मनगवां, पं.क्र.41/25-03-2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एस. के. झा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भागवत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बुढ़वा मनगवां, पं.क्र.41/25-03-2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(340)

रीवा, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/340.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./390, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बरहा मुड़वार, पं.क्र.645/11-02-2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आर. पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या., बरहा मुड़वार, पं.क्र.645/11-02-2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(341)

रीवा, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/341.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./418, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., हनुमानगंज त्योंथर, पं.क्र.1126/17-10-2014 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आर. पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या., हनुमानगंज त्योंथर, पं.क्र.1126/17-10-2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(342)

रीवा, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/342.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./386, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कुशवार, पं.क्र.1066/13-06-2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आर. पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध सहकारी समिति मर्या., कुशवार, पं.क्र.1066/13-06-2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(343)

रीवा, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/343.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./523, दिनांक 18 मार्च, 2016 के द्वारा पर्यावरण महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रीवा, पं.क्र.791/21-04-1998 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आर. पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., रीवा, पं.क्र.791/21-04-1998 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(344)

रीवा, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/344.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./450, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलहा 742 खर्वा, पं.क्र.1042/03-01-2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एल. बी. तिवारी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलहा 742 खर्वा, पं.क्र.1042/03-01-2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(345)

रीवा, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/345.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./450, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., किरहार्ड, पं.क्र.917/04-02-2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एल. बी. तिवारी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., किरहार्ड, पं.क्र.917/04-02-2009 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(346)

रीवा, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/346.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./450, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के द्वारा कृष्णा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जीवार, पं.क्र.1125/16-10-2011 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एल. बी. तिवारी, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृष्णा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जीवार, पं.क्र.1125/16-10-2011 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(347)

रीवा, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/347.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./704, दिनांक 05 मई, 2011 के द्वारा शंकर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सर नं. 1, पं.क्र.1006/30-10-2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए शंकर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सर नं. 1, पं.क्र.1006/30-10-2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(348)

रीवा, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/348.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./381, दिनांक 14 मार्च, 2016 के द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलहाई, पं.क्र.923/10-08-2009 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एम. एल. साकेत, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बेलहाई, पं.क्र.923/10-08-2009 का पंजीयन निरस्त करता हूँ, संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(349)

रीवा, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/349.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1749, दिनांक 21 फरवरी, 2017 के द्वारा सनराईज सिलाई कढ़ाई सहकारी समिति मर्या., घोघर, पं.क्र.1280/16-02-2016 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आर. पी. सिंह, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए सनराईज सिलाई कढ़ाई सहकारी समिति मर्या., घोघर, पं.क्र.1280/16-02-2016 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(350)

रीवा, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/350.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./449, दिनांक 21 अगस्त, 2019 के द्वारा कर्मवीर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवास, पं.क्र.68/25-05-2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री ओ. पी. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मवीर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवास, पं.क्र.68/25-05-2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(351)

रीवा, दिनांक 24 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/351.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./1747, दिनांक 21 फरवरी, 2017 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बसरेही, पं.क्र.948/09-04-2010 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री एस. के. झा, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता रीवा से कराए जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि/सम्पत्ति/स्टॉक न होने से संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं, व्ही. के. पाण्डेय, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बसरेही, पं.क्र.948/09-04-2010 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के अर्थ में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 24 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

व्ही. के. पाण्डेय,
उप-पंजीयक.

(352)

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 28 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/322.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/1169, दिनांक 05 मई, 2017 के द्वारा परिसमापन माँ गायश्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, खिडिया पंजीयन क्रमांक/2758, दिनांक 28 फरवरी, 2002 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री व्ही. आर. दुबे, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस सीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद द्वारा परिसमापन माँ गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, खिडिया पंजीयन क्रमांक/2758, दिनांक 28 फरवरी, 2002 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(353)

होशंगाबाद, दिनांक 28 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/323.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/225, दिनांक 02 फरवरी, 2019 के द्वारा परिसमापन माँ वैष्णव महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, राईखेडी, पंजीयन क्रमांक 2762, दिनांक 06 नवम्बर, 2002 है (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्रीमति अनिता ठाकुर दुबे, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस सीट निरंक हो गई तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत रजिस्ट्रार को प्रदत्त शक्तियों जो मुझे विहित है का प्रयोग करते हुए मैं, श्री बी. एस. परते, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, द्वारा परिसमापन माँ वैष्णव महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, राईखेडी, पंजीयन क्रमांक 2762, दिनांक 06 नवम्बर, 2002 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

बी. एस. परते,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

(354)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, छिन्दवाड़ा

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2020/122.—जिले में स्थित बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खेड़ी, पंजीयन क्रमांक 914, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खेड़ी, पंजीयन क्रमांक 914, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 27 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(355)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/123.—जिले में स्थित खेड़ापति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जाखावाड़ी, पंजीयन क्रमांक 932, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधि सूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत खेड़ापति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जाखावाड़ी, पंजीयन क्रमांक 932, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 27 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(356)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/124.—जिले में स्थित पावर आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लहगडुआ, पंजीयन क्रमांक 898, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधि सूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत पावर आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लहगडुआ, पंजीयन क्रमांक 898, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 27 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(357)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/125.—जिले में स्थित निर्मल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोरेघाट, पंजीयन क्रमांक 929, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधि सूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत निर्मल बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोरेघाट, पंजीयन क्रमांक 929, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 27 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(358)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/146.—जिले में स्थित कन्हान फल-फूल, साग-सब्जी सहकारी समिति मर्या., रामनगरी, पंजीयन क्रमांक 993,

दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत कन्हान फल-फूल, साग-सब्जी सहकारी समिति मर्या., रामनगरी, पंजीयन क्रमांक 993, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(359)

छिंदवाड़ा, दिनांक 31 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/147.—जिले में स्थित रानीघाट फल-फूल साग सब्जी सहकारी समिति मर्या., केवलारी, पंजीयन क्रमांक 956, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत रानीघाट फल-फूल साग सब्जी सहकारी समिति मर्या., केवलारी, पंजीयन क्रमांक 956, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(360)

छिंदवाड़ा, दिनांक 31 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/148.—जिले में स्थित किसान परिवार बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., गोरखघाट, पंजीयन क्रमांक 900, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया। उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा।

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत किसान परिवार बीज उत्पा. सहकारी समिति मर्या., गोरखघाट, पंजीयन क्रमांक 900, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ। अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है।

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया।

(361)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 31 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/149.—जिले में स्थित आदर्श खाद्यान्न क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., दमुआ, पंजीयन क्रमांक 822, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत आदर्श खाद्यान्न क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., दमुआ, पंजीयन क्रमांक 822, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 31 जनवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(362)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/258.—जिले में स्थित जय भोले बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करलाकला, पंजीयन क्रमांक 923, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत जय भोले बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करलाकला, पंजीयन क्रमांक 923, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(363)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/259.—जिले में स्थित नगझिर फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रजाड़ा, पंजीयन क्रमांक 941, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत नगझिर फल-फूल, साग-सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रजाड़ा, पंजीयन क्रमांक 941, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(364)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/261.—जिले में स्थित बलराम फल-फूल, साग सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कामठी, पंजीयन क्रमांक 955, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत बलराम फल-फूल, साग सब्जी उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कामठी, पंजीयन क्रमांक 955, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

(365)

छिन्दवाड़ा, दिनांक 27 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि/2020/262.—जिले में स्थित जय श्री कृष्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेघासिवनी, पंजीयन क्रमांक 901, दिनांक 10 जनवरी, 2014 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत आदेश क्रमांक 631, दिनांक 23 मार्च, 2015 से परिसमापित किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की आस्तियों एवं दायित्वों का निराकरण किया जाकर पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है. परिसमापक द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन के अवलोकन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अतएव मैं, जी. एस. डेहरिया, उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से मुझे प्रत्यावर्तित रजिस्ट्रार की शक्तियों का अनुप्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अन्तर्गत जय श्री कृष्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेघासिवनी, पंजीयन क्रमांक 901, दिनांक 10 जनवरी, 2014 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. अब समिति का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त हो गया है.

यह आदेश आज दिनांक 27 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर सहित जारी किया गया.

जी. एस. डेहरिया,

उप-पंजीयक.

(366)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सतना

सतना, दिनांक 03 जनवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना के आदेशानुसार निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध स. समिति मर्या., चकर गोहान	838/03-07-2017	646/11-12-2010

1	2	3	4
2.	दुग्ध स. समिति मर्या., रेरूआ खुर्द	647/11-12-2010	839/03-07-2017
3.	दुग्ध स. समिति मर्या., सुजावल	649/11-12-2010	840/03-07-2017
4.	दुग्ध स. समिति मर्या., पकैया	653/11-12-2010	841/03-07-2017
5.	दुग्ध स. समिति मर्या., भाजीखेरा	710/30-09-2011	842/03-07-2017
6.	दुग्ध स. समिति मर्या., सुरदहा	733/22-02-2012	843/03-07-2017
7.	दुग्ध स. समिति मर्या., करतहा	730/14-02-2012	844/03-07-2017
8.	दुग्ध स. समिति मर्या., कंदवारी, क्र.2	685/31-01-2011	1184/18-06-2018

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण पंजीयक सहकारी संस्थाये सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था को कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(368)

आशीष कुमार अवस्थी,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सतना

सतना, दिनांक 12 फरवरी, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत]

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं सतना के क्रमांक एवं दिनांक द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारिता अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है. परिसमापन में लायी गई संस्थाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	परिसमापित संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वरहना	108/16-07-2014	808/03-07-2017
2.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुआँ	109/16-07-2014	809/03-07-2017
3.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरदाडीह	133/16-07-2014	810/03-07-2017
4.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खम्हरियाखुर्द	182/16-07-2014	811/03-07-2017
5.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सोनवर्षा	209/16-07-2014	812/03-07-2017

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57(सी) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है, कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से दो माह के अन्दर (60 दिवस में) मय साक्ष्य प्रमाण सहित यदि हो तो मुझे अथवा कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सतना में प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में दावेदारगण (लेनदार-देनदार) किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि दो माह के अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु सूचित किया जाता है, कि उपरोक्त संस्था के कर्मचारी/सदस्य के पास संस्था का कोई रिकार्ड/परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करा दें. अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

(370)

राजेश कुमार श्रीवास्तव,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रशासन), सहकारिता, जिला बड़वानी

बड़वानी, दिनांक 02 मार्च, 2020

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2020/135.-मौ शारदा महिला प्राथ.उपभोक्ता सह.भण्डार मर्या. सेंधवा पंजीयन क्रमांक 268, दिनांक 06 जुलाई, 2010 को इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/विधि/18/1200, दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी समितियों अधिनियम 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री प्रदीप रावत पद अंकेक्षण अधिकारी, सहकारिता, जिला बड़वानी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है. संस्था के परिसमापक श्री प्रदीप रावत, अंकेक्षण अधिकारी द्वारा संस्था की विशेष आमसभा दिनांक 16 दिसम्बर, 2019 में संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा कर प्रस्ताव कार्यालय को अपने पत्र क्रमांक/क्यू दिनांक 20 जनवरी, 2020 को प्रस्तुत किया गया. प्रस्ताव के परीक्षण उपरांत यह पाया गया कि सदस्यों के हितों को दृष्टिगत रखते हुये संस्था को पुनर्जीवित किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मैं, संजयसिंह आर्य, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बड़वानी मध्यप्रदेश सहकारी समितियों, अधिनियम 1960 की धारा-69(4) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मध्यप्रदेश भोपाला के आदेश क्रमांक/एफ-1-99-पन्द्रह-सी दिनांक 26 जुलाई, 1999 अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौ शारदा महिला प्राथ.उपभोक्ता सह.भण्डार मर्या., सेंधवा (पंजीयन क्रमांक 268, दिनांक 06-07-2010) को पुनर्जीवित करता हूँ तथा उक्त परिसमापन क्रमांक/विधि/18/1200, दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 को निरस्त करता हूँ साथ ही संस्था को कारोबार संचालन हेतु श्री प्रदीप रावत, अंकेक्षण अधिकारी को एक सदस्यीय काम-काज कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त करता हूँ

साथ ही निर्देशित किया जाता है कि संस्था का निर्वाचन निर्धारित अवधि 3 माह में करवाया जाकर नव निर्वाचित कमेटी को कार्यभार सौंपा जावे.

यह आदेश आज दिनांक 02 मार्च, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा सहित जारी किया गया है.

संजयसिंह आर्य,
सहायक पंजीयक.

(371)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिवनी

सिवनी, दिनांक 28 फरवरी, 2020

[नियम-57(ग) के तहत दावों एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियां जिसे उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियां, अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70-1 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक/दिनांक
1.	नर्मदा बनकर सहकारी समिति मर्या., धनवाही	303	2132/17-12-2019
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोंटिया	786/02-03-2002	2132/17-12-2019

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं.

अतः मैं, आकाश अहके, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम (नियम) 1962 के नियम-57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समक्ष कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे. प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बावद् अंतिम प्रतिवेदन उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार, अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हो तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा.

यह सूचना आज दिनांक 28 फरवरी, 2020 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

आकाश अहके,
परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

(372)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 मार्च, 2020-फाल्गुन 30, शके 1941

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, बुधवार, दिनांक 08 जनवरी, 2020

1. **मौसम एवं वर्षा**—ग्राय: राज्य में मौसम शुष्क रहा. कुछ जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है. संलग्न सांख्यिकी सूचना-1 में जिलों की तहसीलों के सामने वर्षा मिलीमीटर में प्रतिवेदित की गई है.

2. **प्रारम्भिक जुलाई पर वर्षा का प्रभाव** :- कोई प्रभाव नहीं. कोई प्रभाव नहीं.
3. **बोनी पर वर्षा का प्रभाव** :- कोई प्रभाव नहीं. कोई प्रभाव नहीं.
4. **धान रोपाईं पर वर्षा का प्रभाव** :- कोई प्रभाव नहीं. कोई प्रभाव नहीं.
5. **खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव** :- कोई प्रभाव नहीं. कोई प्रभाव नहीं.
6. **कटी हुई फसल पर वर्षा का प्रभाव** :- कोई प्रभाव नहीं. कोई प्रभाव नहीं.
7. **अन्य असामयक घटना से छति** :- कोई छति नहीं. कोई छति नहीं.

8. **फसल स्थिति** :-जिलों से प्राप्त पत्रकों में कुछ जिलों में फसल स्थिति विगड़ी हुई तथा शेष जिलों में सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

9. **सिंचाई**:- राज्य के कुछ जिलों में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त मात्रा में प्रतिवेदित किया गया है. संबंधित जिलों के सामने सांख्यिकी सूचना-1 में प्रतिवेदित किया गया है.

10. **पशुओं की स्थिति**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में पशुओं की स्थिति सन्तोषप्रद रहना प्रतिवेदित किया गया है.

11. **चारा** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहना प्रतिवेदित किया गया है.

12. **बीज**:- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

13. **खेतिहर श्रमिक** :- राज्य के जिलों से प्राप्त पत्रकों में खेतिहर श्रमिक उचित दर पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

14. जिला बैतूल से पत्रक अप्राप्त है.

1	2	3	4	5	5 (ब)	6	7	8						9			10		
51.	बालाघाट :		धान	समान	समान	5. पर्याप्त.	6.(अ)पर्याप्त,	6.(ब)अच्छी.	7. . .	8. पर्याप्त.
	बालाघाट	
	लाँजी	
	किरनापुर	
	बैहर	
	वारासिवनी	
	कटंगी	
	लालबर्वा	
	तिरोडी	
	परसवाड़ा	
	बिरसा	
	खैरलाँजी	

*जिला बैतूल से पत्रक अप्राप्त है.

(322)

बी. बी. अग्निहोत्री,
उप-आयुक्त,
वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश.